निर्णय बइजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प द्वारा श्री गोविन्दसिंह (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कोर्ट कैम्प–ताल

प्र0सं0 32/2016 प्रा. पत्र

निर्णय दिनांक :– 23.06.2016

<u>अनवान</u>

1. श्री अशोक कुमार पिता मांगी लाल जी जाति महाजन आयु 55 वर्ष निवासी ताल देवगढ

———प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. श्री जसवन्तसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी ताल तहसील देवगढ
2. श्री रामसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी ताल तहसील देवगढ
3. श्री भीकमसिंह पिता श्री नाथुसिंह राजपूत निवासी ताल तहसील देवगढ
4. श्री नारायण पिता श्री कालु जी जाति लौहार निवासी ताल तहसील देवगढ
5. श्री नारायण राम पिता पेमा राम कुम्हार निवासी ताल तहसील देवगढ

———विपक्षीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 लेoरे0 एक्ट</u>

पत्रावली आज दिनांक 23.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कैम्प ताल में पेश हुई। प्रार्थी अशोक कुमार एवं विपक्षी नारायणराम उपस्थित। विपक्षी जसवन्तसिंह, रामसिंह, भीकमसिंह, अनुपस्थित अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार है :–

ग्राम ताल पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ में प्रार्थी व खाते व कब्जे की भूमि स्थित है। जिसके ख0नं0 239 रकबा 2.03, ख0नं0 1531/238/1 रकबा 1.12, कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों की प्रार्थी ने पत्थरगढी नहीं करवाई है। मौके पर प्रार्थी की उक्त भूमि से विपक्षीगण की भूमिया मिली हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगण की जमीने पास–पास में होकर मिली हुई होने से जमीनो की सीमा सम्बन्धी विवाद हर वक्त बना रहता है। फसल काटते व बुवाई के समय पाली सम्बन्धी विवाद रहता है। विपक्षीगण ने प्रार्थी को कहा की तुम अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा लो जो तुम्हारी जमीन की सीमा कायम होगी हम लोग उसी सीमा पर पाबन्द रहेगें। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि ख0नं0 239 रकबा 2.03, ख0नं0 1531/238/1 रकबा 1.12 कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें। ताकि भूमि की सीमा सम्बन्धी विवाद हमेशा–हमेशा के लिये समाप्त हो सकें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये तथा प्रकरण न्याय आपके द्वार अभियान/लोक अदालत/कोर्ट कैम्प–ताल में पेश किया

गया। प्रार्थी अशोक कुमार एवं विपक्षी नारायणराम, नारायण उपस्थित। विपक्षी जसवन्तसिंह, रामसिंह, भीकमसिंह, अनुपस्थित अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। उपस्थित विपक्षीगण ने प्रार्थी द्वारा उनकी जमीन की पत्थरगढी कराये जाने में उनको कोई ऐतराज नही होना मौखिक रूप से निवेदन किया।

ग्राम ताल पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में प्रार्थी खातेदार है। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करवा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ के ख0नं0 239 रकबा 2.03, ख0नं0 1531/238/1 रकबा 1.12, कुल किता 2 रकबा 3.15 बीघा भूमि के पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे की प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कर पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढी कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कोर्ट कैम्प ताल में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़